



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/51/2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:- 15.04.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/184

श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री गेंदा लाल शर्मा निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर
बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

निर्णय

दिनांक 11.05.2021



सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 05.03.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 51/2021/(11.05)/368 दिनांक 16.04.2021 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 11.05.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 11.05.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)





प्रकरण संख्या 51/2021 (सू.अ.) श्री अशोक कुमार शर्मा निवासी मण्डफिया बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
--

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/176 दिनांक 27.04.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैं:-

1. यह कि प्रार्थी श्री अशोक कुमार पिता स्व. गेंदा लाल शर्मा निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2021 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 08.03.2021 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी आवेदन पत्र से वांछित सूचना के समस्त तथ्य जिला परिषद, कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रार्थी प्रार्थना पत्र मूल ही इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/2757 दिनांक 18.03.2021 से अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना से अवगत कराया गया। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी को आवेदन पत्र से वांछित सूचना के संबंध में अवगत करा दिये जाने से अब इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/176 दिनांक 27.04.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.03.2021 से एक बिन्दु पर सूचना चाही गई है। अपीलार्थी का उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला



२ ३

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 51/2021 (सू.अ.)
श्री अशोक कुमार शर्मा निवासी मण्डफिया बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

परिषद, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित किया जाना प्रतिवेदित है। अतः इस आवेदन पत्र पर अग्रिम कार्यवाही अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के स्तर से अपेक्षित थी। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है तो उस दशा में अपीलार्थी को उनके अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा धारा 6(3) में अन्य लोक सूचना अधिकारी को हस्तान्तरित करने की दशा में इस न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता है।

अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रस्तुत अपील पर इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर अपील खारिज की जाती है।



२ ३
(तारा चन्द मीणा)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./51/2021(सू.अ.)/402

दिनांक:- 11/05/2021

प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
2. श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री गेंदा लाल शर्मा निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

२५
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)